(317)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

त्वपूर्ण

पत्रांक-प्र07-विविध-41/2010 5634 खाद्य, पटना/दिनांक- 16.5.2011

प्रेषक,

अजय वी नायक
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहकर बड़ी संख्या में छात्र पठन-पाठन का कार्य करते हैं । आवश्यकता से काफी कम विद्युत की उपलब्धता के कारण उन छात्रों को रोशनी के लिए किरासन तेल पर हीं निर्भर रहना पड़ता है । इन छात्रों को किरासन तेल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है । इस निमित विभागीय पत्रांक- 459 दिनांक- 22.01.2008 द्वारा पूर्व में आपको आवश्यक निदेश भेजा जा चुका है ।

सर्वेक्षित परिवारों के अतिरिक्त जिला सुरक्षित एवं ठेला भेंडरों के लिए किरासन तेल का नियमित आवंटन प्रत्येक माह जिलों को उपलब्ध कराया जाता है । राज्य की वर्त्तमान किरासन तेल वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग, बिहार द्वारा प्रतिवेदित सभी सर्वेक्षित परिवारों को निर्धारित दर पर अनुमान्य मात्रा की आपूर्ति करने हेतु आच्छादित किया गया है । ऐसी स्थिति में ठेला भेंडरों एवं जिला सुरक्षित मद में आवंटित तेल मुख्यतः छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों तथा इलाज के लिए अस्थायी तौर पर आवासित करने वालों के लिए हीं मुख्यतः कर्णाकित है । इसके बावजूद भी विभिन्न माध्यमों से ऐसे छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जो खेदजनक है ।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि ठेला भेंडरों एवं जिला सुरक्षित मद में आवंटित किरासन तेल से छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की अनुमान्य मात्रा की आपूर्ति संबंधित स्कूलों/कॉलेजों/मदरसों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यो द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर की जाय । जिन जिलों में ठेला भेंडरों के मद में आवंटित तेल पर्याप्त नहीं हों अथवा ठेला भेंडर कार्यरत नहीं हैं वहाँ जिला सुरक्षित मद से किरासन तेल कर्णाकित कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । इसके बावजूद भी यदि ऐसे छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो इसकी गणना कर सुविचारित, स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय ।

विश्वासभाजन,
15/6/11
प्रधान सचिव ।